संख्या-77/2017/2968 ई-2/तेरह-2017-57/2016

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 27 दिसम्बर,2017

विषय:-मेसर्स बलरामपुर चीनी मिल्स लि0, केमिकल्स डिवीजन, बलरामपुर को वर्ष में 330 कार्य दिवस आसवन कार्य किये जाने की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-67/दो-प्रा0डी0-38, दिनांक 11 अक्टूबर,2017 तथा पत्र संख्या-जी-80/दो-प्रा0डी0-38, दिनांक 16 नवम्बर,2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त मेसर्स बलरामपुर चीनी मिल्स लि0, केमिकल्स डिवीजन, बलरामपुर आसवनी को वर्ष में 300 कार्य दिवस के स्थान पर 330 कार्य दिवस तक आसवनी संचालित किये जाने एवं आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता 480 लाख लीटर वार्षिक से बढ़ाकर 528 लाख लीटर वार्षिक निर्धारित किये जाने की अनुमति एतद्द्वारा इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि इकाई द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार की सुसंगत विधियों एवं स्थानीय विधियों में विहित व्यवस्था का पालन तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबंधों/मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

कृपया तद्नुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(वेद प्रकाश राय)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in